भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक राजनय प्रभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001

ई-सूचना: विदेश मंत्रालय के लिए अनुवाद एवं प्रतिलेखन सेवाओं के लिए निविदा।

निविदा संख्या: क्यू/एक्सएमएम/551/07/2017 **दिनांक: 20.11.2019**

महत्वपूर्ण तिथियाँ	
प्रकाशन तिथि	20.11.2019
बोली दस्तावेज डाउनलोड आरम्भ तिथि	20.11.2019
स्पष्टीकरण आरम्भ तिथि	20.11.2019
स्पष्टीकरण समाप्ति तिथि	26.11.2019
बोली जमा करने की आरंभिक तिथि	20.11.2019
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	10.11.2019
बोली-पूर्व की बैठक	27.11.2019
तकनीकी बोली खोलने की तिथि	11.12.2019

बोली केवल ऑनलाइन केन्द्रीय लोक अधिप्राप्ति वेबसाइट: https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर जमा होगी।

(गरिमा पॉल)
अवर सचिव (डिजिटल राजनय)
एक्सपीडी प्रभाग, विदेश मंत्रालय
कमरा सं. 254, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली - 110001
दूरभाष: 2338 9351
ई-मेल आईडी: poxps@mea.gov.in

<u>निविदा सूचना</u>

विदेश मंत्रालय का लोक राजनय प्रभाग मंत्रालय के लिए अनुवाद और प्रतिलेखन सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों से बोलियां आमंत्रित करता है।

<u>(ए) कार्य क्षेत्र:</u>

कार्य में निम्न शामिल है:

I. मंत्रालय द्वारा मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जब और जैसे प्रदान की गई सामग्री के टेक्स्ट का अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद। सामग्री का अनुवाद चयनित एजेंसी के विशेषज्ञ के माध्यम से किया जाना है , और ना कि ऑटो-ट्रांसलेट सॉफ़्टवेयर जैसे कि गूगल ट्रांसलेट इत्यादि के माध्यम से।

II. मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई ऑडियो/विडियो क्लिप्स से व्याखानों, वक्तव्यों या किसी अन्य सामग्री का हिंदी और अंग्रेजी में प्रतिलेखन 100% सटीक होना चाहिए। प्रतिलेखन दो चरणों में होना है;
चरण 1 - सब्सक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर के उपयोग से एक प्रारंभिक प्रालेख ।
चरण 2 - एजेंसी के अपने एक विशेषज्ञ के माध्यम से प्रूफ रीडिंग करवाना।

III. मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सामग्री का अंग्रेजी से भारत की निम्न समस्त (या किसी भी) क्षेत्रीय भाषाओं में भाषा की लिपि में अनुवाद चयनित एजेंसी के विशेषज्ञ के माध्यम से किया जाना है और ना कि ऑटो-ट्रांसलेट सॉफ़्टवेयर जैसे कि गूगल ट्रांसलेट इत्यादि के माध्यम से:
क) उर्दू
ख) बंगाली
ग) गुजराती
घ) कन्नड़
ङ) मलयालम
च) ओडिया
छ) पंजाबी
ज) तमिल
झ) तेलेगु
ञ) असामी

IV. मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई ट्वीट और सामग्री का अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद।

अन्य शर्तें:

I. **टर्न अराउंड टाइम** : उपरोक्त सेवाओं के लिए एजेंसी को मूल सामग्री भेजने के समय से वांछित डिलीवरी टाइम/ टर्न अराउंड टाइम निम्नानुसार होगा:
क) अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद (अंग्रेजी से हिंदी, औसतन एक 1 लम्बा; हिंदी से अंग्रेजी, औसतन 2 पृष्ठ लम्बा) - 3 घंटों के भीतर

ख) प्रतिलेखन (औसतन 2 पृष्ठ लम्बा) - 3 घंटों के भीतर
ग) क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद (औसतन एक पृष्ठ लम्बा) - 48 घंटों के भीतर
घ) ट्वीट का अनुवाद (अधिकतम 280 कैरेक्टर) - 60 मिनटों के भीतर

II. दिन के विषम समय में सेवाओं की आवश्यकता होगी। मंत्रालय ऊपर निर्दिष्ट समय के भीतर डिजिटल प्रारूप में यूनिकोड सक्षम फॉन्ट में अनुवाद/प्रतिलेखन के लिए ई-मेल, व्हाट्सऐप, हार्डकॉपी, ऑडियो/विडियो फाइल के माध्यम से मूल सामग्री प्रदान करेगा।

III. संपर्क बिन्दुएँ (पीओसी) - फाइल भेजने के तरीकों, टर्न अराउंड टाइम, प्रतिलेखन/अनुवाद डिलीवरी, फीडबैक के समन्वय के लिए एजेंसी अपने प्रमुख कर्मचारी को पीओसी के रूप में नामित करेगा और अनुबंध के लिए सामान्य संपर्क व्यक्ति के रूप में सेवा प्रदान करेगा।

IV. जिस फॉर्मेट में दस्तावेज प्रदान किए जा रहे हैं, मंत्रालय के वेबसाइट के फॉन्ट के अनुकूल होना चाहिए, तथा ट्विटर/फेसबुक फ्रेंडली होना चाहिए।

V. दिए जाने वाले अनुवाद कार्य विभिन्न प्रकृति के हो सकते हैं, जैसे कि तकनीकी/गैर-तकनीकी, प्रतिवेदन, भाषण इत्यादि।

VI. एजेंसी अनुवाद की जाने वाली सामग्री को एक फाइल फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलने और मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार वांछनीय फाइल फॉर्मेट में भेजने में सक्षम होना चाहिए।

VII. गुणवत्ता जांच

अनुवादित सामग्री की प्रामाणिकता के लिए आवश्यक प्रूफ रीडिंग करवाना अनुवादक एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। उपेक्षा के मामले में, यह अनुवादक एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। एजेंसी सुनिश्चित करेगा कि:

क) डिलीवर किया गया टारगेट टेक्स्ट सम्पूर्ण हो - कोई टेक्स्ट छोड़ने या अतिरिक्त टेक्स्ट जोड़ने की अनुमति नहीं है
ख) टारगेट टेक्स्ट मूल टेक्स्ट के प्रपठन के अनुसार विश्वसनीय, सटीक और सुसंगत हो।
ग) उपयोग की गई शब्दावली और लेक्सिस मूल टेक्स्ट के सुसंगत हो।
घ) टारगेट टेक्स्ट में वाक्य रचना संबंधी, शब्द-विन्यास, विराम चिन्ह, मुद्रण या अन्य व्याकरणिक भूल ना हो।
ङ) प्राधिकारी विभाग द्वारा दिए गए किसी विशिष्ट निर्देश का पालन और सहमत समय-सीमा का निष्ठापूर्वक सम्मान किया जाए।
च) प्रदेय सामग्री में अगर गलतियों को हाईलाइट किया गया है तो, एजेंसी निःशुल्क उन गलतियों को तुरंत सुधारेगा और संशोधित टेक्स्ट तुरंत वापस भेजेगा।
छ) मंत्रालय अनुवाद/प्रतिलेखन के गुणवत्ता पर नियमित फीडबैक देता रहेगा, जिसके आधार पर एजेंसी को आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करना होगा।

VIII. जिन लोगों ने फ्रीलैंसिंग/ पीसमील/ जॉब कार्य किया है, इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

IX. विश्वसनीयता और गोपनीयता

क) चयनित एजेंसी को प्रदान की गई सामग्री की गोपनीयता हर समय बनाई रखनी है।

ख) चयनित एजेंसी को अभिस्वीकार करने की आवश्यकता होगी कि टेक्स्ट और विसुअल दोनों के लिए अनुवादित टेक्स्ट का प्रतिलिप्याधिकार, चाहे अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी हो, सरकार को है। एजेंसी सामग्री या टेक्स्ट के संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा अधिमान्य होने पर प्रकाशन/दस्तावेज/ या इसके किसी भी हिस्से के स्वामित्व के सन्दर्भ में किसी भी दावे के लिए मंत्रालय को क्षतिपूर्ति देने का बेशर्त उत्तरदायित्व लेना है और भरपाई करना है।

ग) चयनित एजेंसी को इस कार्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी तृतीय पक्ष को सामग्री की फोटोकॉपी, फोटोग्राफी, साइक्लोस्टाइल, माइक्रोफिल्म, स्कैनिंग करने या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साधन या किसी भी अन्य साधन के ज़रिए नक़ल बनाकर किसी भी तरह से सामग्री प्रेषित करने/प्रतिलिपि बनाने/ पुनः मुद्रण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

X. विशेषज्ञ व्यक्ति

क) उपरोक्त प्रत्येक भाषाओं के लिए एजेंसी के स्थायी/नियुक्त प्रमुख कर्मियों की सूची के साथ-साथ उनकी अर्हताएं और अनुभव मंत्रालय को जमा की जाए।

ख) चयनित एजेंसी को मंत्रालय के समस्त कार्य करवाने के लिए केवल उन लोगों की सहायता लेने की आवश्यकता होगी जिनका नाम मंत्रालय को जमा की गई विशेषज्ञ सूची में शामिल है।

ग) विशेषज्ञों की सूची में यदि कोई बदलाव होता है, तो इस बारे में तुरंत मंत्रालय के ध्यान में लाना है ताकि उस पर सहमति दे सके।

घ) एजेंसी के चुनाव के लिए तकनीकी मूल्यांकन के दौरान परीक्षा में भाग लेने वाले विशेषज्ञ व्यक्ति अनिवार्य और प्राथमिक रूप से मंत्रालय का कार्य संभालेंगे।

ङ) एजेंसी के विशेषज्ञ व्यक्ति को प्रासंगिक भाषा में, या प्रासंगिक भाषा में अनुवाद के लिए किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/राज्यीय विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त हो, या केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (एमएचए) से ग्रेड ए के साथ अनुवाद कोर्स पूर्ण किया हो, या भारत सरकार/ राज्य सरकार या भारत के प्रतिष्ठित संगठनों या कंपनियों के साथ एक अनुवादक के रूप में कार्य का अनुभव होना चाहिए।

2. **अनुबंध की वैधता और विस्तारण**: यह अनुबंध शुरुआत में एक साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किया जाएगा जो बाद में मंत्रालय के स्वविवेक से विद्यमान नियमों और शर्तों पर और संबंधित एजेंसी की लिखित सहमति से एक बार में एक साल की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

3. <u>दो बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) का अनुसरण किया जाएगा</u> । तकनीकी बोली 11 दिसंबर, 2019 को 1500 बजे पीओ (एक्सएमएम) कार्यालय (कमरा सं. 254, ए विंग, शास्त्री भवन), नई दिल्ली में उन निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जाएगी जो उस समय उपस्थित रहना चाहते हैं। तकनीकी मूल्यांकन समिति तकनीकी बोली/प्रस्तुति का मूल्यांकन करेगी।

(बी) न्यूनतम योग्यता मानदंड:

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी, विदेश मंत्रालय के नाम से नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर 20,000/- रुपए (केवल बीस हजार रुपए) का बयाना रकम जमा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) विभाग द्वारा जारी की गई एमएसई अधिप्राप्ति नीति में परिभाषित सूक्षम और लघु उद्योग (एमएसई) या केन्द्रीय खरीद संगठन या संबंधित मंत्रालय या विभाग में पंजीकृत सूक्षम और लघु उद्योग (एमएसई) को बयाना रकम जमा करने से छूट है [आवश्यक एमएसई प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन]
2. एजेंसी के पास वैध पैन, विक्रय कर/जीएसटी/वीएटी पंजीकरण होना चाहिए।
3. प्रतिष्ठित संगठनों, सरकारी मंत्रालयों/विभागों के साथ काम करने का कम से कम दो साल का प्रासंगिक अनुभव अधिमान्य होगा।
4. एजेंसी का वार्षिक टर्नओवर प्रत्येक पिछले तीन वर्षों के लिए कम से कम 50 लाख होना चाहिए - एजेंसी को इस प्रभाव में अपने लेखा-परीक्षक से एक प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के टर्नओवर का आंकड़ा भी तुलन-पत्र पर स्पष्ट अंकित करें। केवल सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष (आंशिक नहीं) का टर्नओवर आंकड़ा ही स्वीकार्य होगा।
5. एजेंसी किसी भी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिए और ना ही भारत में कहीं भी एजेंसी या इसके मालिक या साझेदारों के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
6. एजेंसी ने पिछले तीन वर्षों के लिए आईटीआर दर्ज किया हो।

बोली-पूर्व की बैठक: एक संभाव्य आवेदक, जो निविदा दस्तावेज पर स्पष्टीकरण चाहता है, डेटा शीट में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर विदेश मंत्रालय को dsdd@mea.gov.in पर ई-मेल भेज कर सूचित करें।
विदेश मंत्रालय जमा प्रश्नों को संबोधित करने के लिए 27 नवम्बर, 2019 को 1500 बजे पीओ (एक्सएमएम) कार्यालय (कमरा सं. 254, ए विंग, शास्त्री भवन), नई दिल्ली पर बोली-पूर्व बैठक आयोजित करेगा। ईमेल के ज़रिए भेजी गई प्रश्नों का उत्तर विदेश मंत्रालय के वेबसाइट (mea.gov.in) और केन्द्रीय लोक अधिप्राप्ति की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

(सी) बोली जमा करना:

बोलीदाता अपनी बोलियाँ सीपीपी पोर्टल पर दो अलग-अलग हिस्सों में अपलोड करें, जैसे कि:
(i)तकनीकी बोली: बोली देने वाली एजेंसियों को संलग्नक I में बताए गए दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है। केवल न्यूनतम योग्यता मानदंड का अनुपालन करती बोलियों को तकनीकी बोली में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाएगी।
(ii)वित्तीय बोली: संलग्नक II में दी गई बीओक्यू शीट में जमा करना है।

- **ऑनलाइन बोली जमा करने हेतु बोलीदाताओं के लिए निर्देश संलग्नक III में पाया जा सकता है।**

(डी) तकनीकी मूल्यांकन

1. केवल न्यूनतम योग्यता मानदंड पूरा करने वाली और संलग्नक I में उल्लिखित दस्तावेज जमा करने वाली एजेंसियां तकनीकी मूल्यांकन के पात्र होंगी। इन एजेंसियों को एक तकनीकी मूल्यांकन से गुजरने की आवश्यकता होगी।
2. तकनीकी मूल्यांकन में निम्न कौशलों की परीक्षा भी शामिल है:
   अनुवाद परीक्षा - अंग्रेजी से हिंदी

अनुवाद परीक्षा - हिंदी से अंग्रेजी
प्रतिलेखन परीक्षा - अंग्रेजी
प्रतिलेखन परीक्षा - हिंदी
क्षेत्रीय भाषा अनुवाद परीक्षा

सभी परीक्षाएं ऑनलाइन निष्पादित होंगी, अर्थात सामग्री ई-मेल के माध्यम से प्रदान की जाएगी और ई-मेल के माध्यम से ही उत्तर भेजा जाएगा।

3. बोलीदाताओं का तकनीकी मूल्यांकन निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर होगा:

एजेंसी द्वारा नियुक्त अनुवादक और प्रतिलेखक, संसाधन व्यक्ति की अर्हताएं	अधिकतम 10 अंक
कार्य आदेशों की संख्या (प्रतिष्ठित संगठनों, सरकारी मंत्रालयों/विभागों के साथ खंड कार्य, या 6 महीने से कम अवधि का कार्य) - **हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद**	अधिकतम 5 अंक [1 - 2 = 1 अंक 3 - 4 = 2 अंक 5 - 6 = 3 अंक 7 - 8 = 4 अंक **>** 8 = 5 अंक]
कार्य आदेशों की संख्या (खंड कार्य, या 6 महीने से कम अवधि का कार्य) - **प्रतिलेखन**	अधिकतम 5 अंक [1 - 2 = 1 अंक 3 - 4 = 2 अंक 5 - 6 = 3 अंक 7 - 8 = 4 अंक **>** 8 = 5 अंक]
लंबी अवधि के अनुबंधों/ मनोनयनों की संख्या (कम से कम 6 महीने या 6 महीने से अधिक अवधि के समझौते) **- हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद**	अधिकतम 5 अंक [1 - 2 = 1 अंक 3 - 4 = 2 अंक 5 - 6 = 3 अंक 7 - 8 = 4 अंक **>** 8 = 5 अंक]
लंबी अवधि के अनुबंधों/ मनोनयनों की संख्या (कम से कम 6 महीने या 6 महीने से अधिक अवधि के समझौते) - **प्रतिलेखन**	अधिकतम 5 अंक [1 - 2 = 1 अंक 3 - 4 = 2 अंक 5 - 6 = 3 अंक 7 - 8 = 4 अंक **>** 8 = 5 अंक]
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एजेंसी का औसत टर्नओवर	अधिकतम 5 अंक [= 50 लाख = 1 अंक

	50 <= 60 लाख = 2 अंक 60 <= 70 लाख = 3 अंक 70 <= 80 लाख = 4 अंक >= 80 लाख = 5 अंक]
अनुवादित नमूने की गुणवत्ता [एजेंसी से अपेक्षा है कि वो भारत सरकार की विभिन्न अभिकरणों द्वारा उपयोग की जाने वाली शब्दावली से सुपरिचित हों और उनके सही उपयोग का अनुभव रखते हों]	45 अंक [अंग्रेजी/हिंदी अनुवाद - 15 अंक अंग्रेजी/हिंदी प्रतिलेखन - 15 अंक क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद - 15 अंक]
ऑनलाइन अनुवाद एवं प्रतिलेखन परीक्षा: नमूना अनुवाद करने की गति [अनुवाद के लिए कोई न्यूनतम गति की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि, तेज गति से अनुवाद करने की क्षमता अधिमान्य है और तदनुसार मूल्यांकित किया जाएगा। अनुवाद करने की गति का विश्लेषण बोलीदाताओं के मध्य आपेक्षिक होगा।	अधिकतम 20 अंक [अंग्रेजी/हिंदी अनुवाद - 8 अंक अंग्रेजी/हिंदी प्रतिलेखन - 8 अंक क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद - 4 अंक]
कुलयोग	**अधिकतम 100 अंक**

4. न्यूनतम अर्हता अंक 80 होगा।

(ई) वित्तीय राउंड:

1. केवल तकनीकी मूल्यांकन राउंड में सफल होने वाली एजेंसियां वित्तीय बोली राउंड में भाग लेने की पात्र होंगी। वित्तीय बोली खोलने की तिथि और समय बाद की तारीख को सूचित किया जाएगा।

2. बोलीदाता निम्नलिखित के लिए अपनी 'प्रति शब्द रुपए दर' (लागू करों को छोड़कर) उद्घृत करेंगे:

- अनुवाद शुल्क - अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी
- अनुवाद शुल्क - क्षेत्रीय भाषाएँ *
- प्रतिलेखन शुल्क#

ये दर निविदा दस्तावेज के साथ ऑनलाइन प्रदान की गई बीओक्यू शीट में उद्घृत करना होगा। (**संलग्नक II**)

** क्षेत्रीय भाषाओं की सम्पूर्ण श्रृंखला के लिए एकल दर की आवश्यकता होगी*

 # हिंदी/अंग्रेजी में प्रतिलेखन के लिए एकल दर

3. निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि के बाद वित्तीय बोली में कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।

4. बोलियों के मूल्यांकन के पश्चात, एल1 (निम्नतम वित्तीय बोली) चुनी जाएगी।

(एफ) नियम और शर्तें:

1. अंतिम तिथि और समय के बाद मिलने वाली निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. मंत्रालय को अपने स्वविवेक से बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय में विस्तार करने का अधिकार आरक्षित है।

3. बोली देने वाली एजेंसियां बोली तैयार करने और जमा करने से संबंधित समस्त लागतों का वहन स्वयं करेंगी और विदेश मंत्रालय को किसी भी तरीके से इन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराएगा, चाहे बोली प्रक्रिया का संचालन या परिणाम कुछ भी हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदात्मक समझौते में प्रवेश करने से पहले किसी भी बोलीदाता और मंत्रालय के मध्य किसी तरह का कोई बाध्यकारी संबंध अस्तित्व में नहीं होगा।

4. बोलियाँ निविदा दस्तावेज में दी गई 'बोली जमा करने की आरंभिक तिथि' की तिथि से लेकर 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि तक विधिमान्य रहेंगी।

5. अनुबंध के अनुसरण में एक पक्ष दूसरे पक्ष को ई-मेल/ भौतिक पत्र द्वारा सूचना भेजेगा और अनुबंध में उस उद्देश्य हेतु निर्दिष्ट पते पर लिखित में पावती भेजेगा।

6. तकनीकी मूल्यांकन में सहायता के लिए, मंत्रालय को बोलियों के मूल्यांकन के दौरान किसी भी/सभी बोलीदाताओं/एजेंसियों से कोई स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार आरक्षित है। ये स्पष्टीकरण केवल लिखित में जमा किए जाने चाहिए। हालांकि, बोलियों पर कोई अन्य पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. इस बोली में भाग लेना ये दर्शाता है कि बोलीदाता ने इस बोली दस्तावेज के समस्त नियमों और शर्तों, और अनुवर्ती संशोधनों, यदि कोई हो, को स्वीकार किया है।

8. एजेंसी, जिसे इस निविदा के माध्यम से अनुबंध प्रदान किया गया है, द्वारा निर्मित/सम्पादित/प्रदत्त सामग्री पर एकमात्र मंत्रालय का अधिकार होगा।

9. इस निविदा से संबंधित विवादों के सभी मामले में मंत्रालय का निर्णय अंतिम और एजेंसी पर बाध्यकारी होगा।

10. <u>भुगतान के नियम</u>:
    - उद्घृत मूल्य स्थिर रहेगा और विनिमय दरों, करों, शुल्कों इत्यादि के अर्थों में परिवर्तन के अधीन नहीं होगा।
    - जिस एजेंसी को अनुबंध प्रदान किया गया है, महीने की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर सम्पूर्ण विवरण देते हुए बिल जमा करेगा।
    - एजेंसियों, जिन्होंने बोली जमा की है, को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उद्घृत मूल्यों/दरों में कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक मानवशक्ति सहायता और अनुबंध की अवधि के

दौरान परियोजना की निरंतर अनुवीक्षा का लागत शामिल किया जाए। परियोजना की अवधि के दौरान किसी भी शर्त में कोई विचलन की अनुमति नहीं है। अनुबंध की अवधि के दौरान मूल्य बढ़ाने की अनुमति होगी। उद्घृत दरों के अतिरिक्त केवल लागू कर लागू होंगे।

11. एजेंसी आवश्यक सभी हार्डवेयर खरीदेगा और अपने टीम को उपलब्ध करवाएगा ताकि वो लक्षित कार्य पूरा करने में सक्षम हो सके।

12. मंत्रालय एजेंसियों से अपेक्षा करता है कि वो परियोजना निष्पादित करवाने के लिए अनुवाद/प्रतिलेखन के क्षेत्र में पेशेवरों को नियुक्त करेगा और किसी भी समय, अनुबंध प्रदान करने से पहले या बाद में उनके व्यावसायिक पृष्ठभूमि, विशेषज्ञता और उनकी उपलब्धियों के संबंधित रिज्यूमे, दस्तावेज मांगने का अधिकार रखता है।

13. अनुवाद की गुणवत्ता और समय-सीमा (हर कार्य के साथ सूचित किया गया या कार्य क्षेत्र में बताया गया) के भीतर कार्य पूर्ती अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें कोई भी चूक होने पर आगे कोई सूचना दिए बिना एजेंसी के साथ अनुबंध रद्द किया जा सकता है।

14. ऊपर उल्लिखित किसी भी उपबंध के बावजूद, दरों और अन्य नियमों और शर्तों के लिए, इस निविदा इत्यादि के संबंध में कोई पृथक दृष्टिकोण होने के मामले में, मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा और इस बोली में भाग लेते सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

15. **बयाना रकम जमा**: बोलीदाताओं को संलग्नक I में बताए गए अनुसार 20,000/- रुपए (केवल बीस हजार रुपए) का **बयाना रकम जमा (ईएमडी)** जमा करने की आवश्यकता है। यह डिमांड ड्राफ्ट के रूप में नई दिल्ली में देय एवं 'वेतन एवं लेखा अधिकारी, विदेश मंत्रालय' के नाम से अवर सचिव (डिजिटल राजनय), कमरा सं. 254, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को पहुंचाया जाना चाहिए।
अनुबंध प्रदान करने के बाद असफल बोलीदाताओं की उनकी बोली प्रतिभूति वापस लौटा दी जाएगी। निविदा के उद्देश्य के लिए विदेश मंत्रालय के पास जमा बयाना जमा रकम पर कोई ब्याज नहीं चढ़ेगा।

निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक कारणों से बयाना रकम जमा जब्त कर ली जाएगी:-

i) बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता/बदलता है।
ii) अगर चयनित बोलीदाता समय पर समझौते पर हस्ताक्षर करने और समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने में असफल रहता है।

एन.बी: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) विभाग द्वारा जारी की गई एमएसई अधिप्राप्ति नीति में परिभाषित सूक्षम और लघु उद्योग (एमएसई) या केन्द्रीय खरीद संगठन या संबंधित मंत्रालय या विभाग में पंजीकृत सूक्षम और लघु उद्योग (एमएसई) को बयाना रकम जमा करने से छूट है [आवश्यक एमएसई प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन]

16. अनुवाद/प्रतिलेखन कार्य की आवश्यकता अनिरंतर प्रकृति की है जो शुद्ध रूप से पीस-मील और पारितोषिक आधार की आवश्यकता पर आधारित है। अतः, अनुबंध कार्य के लिए पारितोषिक के अलावा कार्य आवंटित करने या किसी देयता का कोई दावा नहीं करता।

17. मंत्रालय को किसी भी समय अनुबंध रद्द करने का अधिकार होगा।

18. बोलीदाताओं को केवल संलग्नक I में बताए गए तरीके से दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है।

19. **बोलियों की अनर्हता/ईएमडी जब्त होना**:
    1) समस्त आवश्यक जानकारियाँ प्रस्तुत करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप बोली अस्वीकृत हो सकती है।
    2) एजेंसी द्वारा जमा की गई जानकारी किसी भी तरह से झूठी और/या गलत पाए जाने के मामले में एजेंसी को निलंबित और/या प्रतिबंधित किया जा सकता है और बोली अस्वीकार की जा सकती है।

    मंत्रालय को कोई कारण बताए बिना किसी भी चरण में निविदा दस्तावेज में बदलाव करने; कोई भी या सभी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार आरक्षित है। कोई बोलीदाता अपनी बोली अस्वीकार होने पर मंत्रालय के खिलाफ कोई कारण या दावा नहीं उठाएगा।

    निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक कारणों से बयाना रकम जमा जब्त कर ली जाएगी:-

    i) बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता/बदलता है।
    ii) अगर चयनित बोलीदाता समय पर समझौते पर हस्ताक्षर करने और समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने में असफल रहता है।
    iii) बिंदु (एफ)(19)(1 और 2) में उल्लिखित मामलों के अधीन

(जी) प्रदर्शन बैंक गारंटी : सफल बोलीदाता अनुबंध के नियत एवं विश्वसनीय निष्पादन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर से पहले प्रदर्शन बैंक गारंटी के रूप में कुल अनुबंध मूल्य का 10% रकम प्रदान करेंगे। प्रदर्शन बैंक गारंटी संविदात्मक उत्तरदायित्व पूर्ण होने की तिथि के बाद 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रहना चाहिए। प्रदर्शन गारंटी जमा करने के बाद सफल बोलीदाता की बयाना जमा रकम वापस लौटा दी जाएगी।

यदि **सफल बोलीदाता** कार्य क्षेत्र के अनुसार संविदात्मक दरों पर सभी प्रदेय की आपूर्ति करने से इनकार करता या असमर्थ रहता या विलम्ब होता है तो इसके परिणामस्वरूप अनुबंध रद्द किया जा सकता है और प्रदर्शन गारंटी (पीजी) जब्त की जा सकती है और साथ ही बोलीदाता को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।

(एच) समझौता विलेख: सफल बोलीदाता अनुबंध पूरा करने के लिए अनुबंध प्रदान करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर ₹ 100/- के गैर-न्यायिक मुद्रांक कागज़ पर एक समझौता निष्पादित करेगा। समझौता/अनुबंध निष्पादित करवाने पर लगने वाला आकस्मिक व्यय सफल बोलीदाता वहन करेगा। **प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी),** जो अनुबंध मूल्य का 10% रकम होगा, जमा होने के बाद समझौते/अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

(आई) जुर्माना खंड:

1. अगर बोलीदाता बोली वैधता अवधि से पहले अपनी बोली वापस लेता या बदलता है, तो मंत्रालय/प्रभाग ईएमडी जब्त करने का निर्णय लेगा और उसे भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करेगा।

2. अगर भविष्य में किसी भी समय पाया जाता है कि बोलीदाता ने ऐसी जानकारी जमा की है जो तथ्यात्मक रूप से गलत है या अगर बोलीदाता अपनी कोई भी संविदात्मक उत्तरदायित्व पूरा नहीं करता है, तो मंत्रालय तत्काल प्रभाव से अनुबंध रद्द करने का निर्णय ले सकता है, और/या बोलीदाता को इस या सभी अन्य निविदा प्रक्रिया में मंत्रालय द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि तक उत्तरव्यापी प्रभाव से बोली लगाने से प्रतिबंधित कर सकता है और कोई अन्य कार्रवाई कर सकता है जो आवश्यक समझा जाए। मंत्रालय अपने स्वविवेक/संतुष्टि के अनुसार इस समय अवधि से संबंधित दंड तय करेगा।

(जे) शासी कानून और अधिकार-क्षेत्र:

निविदा दस्तावेज भारत के कानूनों द्वारा समझा जाएगा और शासित होगा, और दोनों पक्ष (बोलीदाता और मंत्रालय) एतद्वारा दिल्ली न्यायालय के विशिष्ट क्षेत्राधिकार के अधीन होते हैं।

(के) विवादों का निपटान और विवाचन:

समझौते या इसकी विषय-वस्तु से किसी भी तरह से संबंधित या उभरने वाले सभी विवाद, मतभेद और सवाल या प्रतिनिधियों के अधिकार, पक्षों के कर्तव्यों या देयताओं को आज की तिथि तक संशोधित विवाचन एवं संधि अधिनियम 1996 के अधीन एकमात्र विवाचन के लिए संदर्भित किया जाएगा। विवाचक को पक्षों की सहमति से विवाचन कार्रवाई का समय बढ़ाने का अधिकार होगा।

(एल) अप्रत्याशित घटना:

1. मंत्रालय, निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट , जुर्माना और प्रदेय आवश्यकताओं पर ढील देने का विचार कर सकता है, यदि किसी अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप अनुबंध के अधीन प्रदर्शन में विलम्ब या अपना उत्तरदायित्व पूरा करने में असफलता हुई है।

2. यहाँ उपयोग किए गए शब्द अप्रत्याशित घटना का अर्थ है कोई भी अज्ञेय या अप्रतिरोध्य प्राकृतिक घटना, युद्ध की कोई घटना (चाहे घोषित या अघोषित), आक्रमण, आंदोलन, विद्रोह, आतंकवाद, या समान प्रकृति का बल की कोई अन्य घटना, बशर्ते ये घटनाएं ठेकेदार के नियंत्रणीय कारकों से परे किसी कारण से उद्भूत हों या ठेकेदार की गलती या उपेक्षा की वजह से ना हुआ हो।

3. किसी भी अप्रत्याशित घटना के दौरान या घटित होने के पश्चात यथाशीघ्र प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष को इस घटना या कारण के बारे में लिखित में सूचना और सम्पूर्ण विवरण देगा कि क्या प्रभावित पक्ष घटना के कारण अनुबंध के अधीन अपना उत्तरदायित्व निष्पादित करने और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में पूर्ण या आंशिक रूप से असमर्थ हुआ है या नहीं।

4. प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष को परिस्थितियों में आने वाले बदलावों या ऐसी घटना के बारे में सूचित करेगा जो अनुबंध के अधीन कार्य प्रदर्शन में बाधा खड़ी करता है या जिससे बाधा खड़ी होने का खतरा है। इसके अधीन आवश्यक सूचना या सूचनाएं प्राप्त होने पर, अप्रत्याशित घटना बनने वाले किसी भी कारण से

प्रभावित ना होने वाला पक्ष अपनी समझ में यथोचित कार्रवाई करेगा या उन परिस्थितियों में आवश्यक कार्रवाई करेगा, जिसमें प्रभावित पक्ष को अनुबंध के अधीन अपने उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए यथोचित समय विस्तार प्रदान करना शामिल है।

5. यदि ठेकेदार अप्रत्याशित घटना के कारण अनुबंध के अधीन अपना उत्तरदायित्व निष्पादित करने और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में पूर्ण या आंशिक रूप से असमर्थ हुआ है, तो विदेश मंत्रालय को समान नियमों और शर्तों पर तत्काल प्रभाव से अनुबंध स्थगित या रद्द करने का अधिकार होगा। किसी भी मामले में, यदि ठेकेदार अप्रत्याशित घटना के कारण अनुबंध के अधीन अपना उत्तरदायित्व निष्पादित करने और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में पूर्ण या आंशिक रूप से असमर्थ है तो विदेश मंत्रालय को यह मानने का अधिकार होगा कि ठेकेदार अनुबंध के अधीन अपना उत्तरदायित्व निष्पादित करने में स्थायी रूप से असमर्थ है।

(एम) परिनिर्धारित नुकसान और समाप्ति:

- सफल ठेकेदार की ये सबसे पहली और जरूरी जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि संतोषजनक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार अनुबंध निष्पादित किया जा रहा है। विलंबित या असंतोषजनक सेवाओं की घटना में, मंत्रालय ठेकेदार से विलंबित सेवा के किसी भी हिस्से/ सेवा में उपेक्षा के लिए मूल्य का न्यूनतम 0.5% रकम वसूल करेगा। विलंबित सेवा के किसी भी हिस्से/ सेवा में उपेक्षा के लिए अधिकतम मूल्य का 10% रकम वसूला जाएगा।
- ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता त्रुटिपूर्ण/ अपर्याप्त पाए जाने के मामले में, सक्षम प्राधिकारी 15 दिनों की सूचना देने के पश्चात अनुबंध समझौता समाप्त कर सकते हैं। उस मामले में सक्षम प्राधिकारी प्रदर्शन गारंटी जमा जब्त कर लेंगे।
- निविदा दस्तावेज में उल्लिखित किसी भी नियमों और शर्तों का बड़ा उल्लंघन होने के मामले में, सक्षम प्राधिकारी को कोई कारण बताए बिना अनुबंध समाप्त करने, कार्य आदेश रद्द करने का अधिकार होगा और उस घटना में मंत्रालय द्वारा कुछ भी देय नहीं होगा और प्रदर्शन प्रतिभूति जमा भी जब्त की जा सकती है।

(एन) अनुबंध की पूर्ती:- ठेकेदार को अंतिम भुगतान करते समय और पीबीजी जारी करने से पहले, ठेकेदार से वस्तुओं की अधिप्राप्ति, 2017 (निम्न निविदा दस्तावेज का **संलग्नक IV**) के मैनुअल के संलग्नक 21 में दिए गए प्रारूप में एक "अदावा प्रमाणपत्र" लिया जाएगा।

(गरिमा पॉल)
अवर सचिव (डिजिटल राजनय)
एक्सपीडी प्रभाग, विदेश मंत्रालय
कमरा सं. 254, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली - 110001
दूरभाष: 2338 9351
ई-मेल आईडी: poxps@mea.gov.in

संलग्नक I

क्रमांक	दस्तावेज	फाइल प्रकार
1.	**वेतन एवं लेखा अधिकारी, विदेश मंत्रालय** के नाम से **नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट** के तौर पर 20,000/- रुपए (केवल बीस हजार रुपए) का **बयाना रकम जमा (ईएमडी)**। डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन की गई प्रति अपलोड करें। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) विभाग द्वारा जारी की गई एमएसई अधिप्राप्ति नीति में परिभाषित सूक्षम और लघु उद्योग (एमएसई) या केन्द्रीय खरीद संगठन या संबंधित मंत्रालय या विभाग में पंजीकृत सूक्षम और लघु उद्योग (एमएसई) को बयाना रकम जमा करने से छूट है [आवश्यक एमएसई प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन]	.pdf
2.	स्वामित्व/कंपनियों के मामले में पंजीकरण की प्रतियां	.pdf
3.	पैन और जीएसटी नंबर की प्रति, जैसा प्रयोज्य हो	.pdf
4.	पिछले तीन वर्षों के लिए आईटीआर रिटर्न की प्रति	.pdf
5.	नवीनतम विक्रय कर/वीएटी/जीएसटी अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रति या नवीनतम कर जमा चालान की प्रति	.pdf
6.	एजेंसी के मालिकों/साझेदारों इत्यादि की सूची	.pdf
7.	इस प्रभाव में एक प्रमाणपत्र की प्रति कि एजेंसी किसी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैस्कलिस्टेड नहीं है और ना ही भारत में कहीं भी एजेंसी या इसके मालिक या इसके साझेदारों के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है।	.pdf
8.	केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों/ प्रतिष्ठित निजी संगठनों से प्राप्त अनुबंध प्रदान की प्रतियां (**खंड कार्य या 6 महीने से कम की अवधि के साथ**) - ***हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद***	.pdf
9.	केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों/ प्रतिष्ठित निजी संगठनों से प्राप्त अनुबंध प्रदान की प्रतियां: **लंबी अवधि के अनुबंध/ मनोनयन (6 महीने या अधिक की अवधि के साथ) - *हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद***	.pdf
10.	केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों/ प्रतिष्ठित निजी संगठनों से प्राप्त अनुबंध प्रदान की प्रतियां (**खंड कार्य या 6 महीने से कम की अवधि के साथ**) - ***प्रतिलेखन***	.pdf
11.	केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों/ प्रतिष्ठित निजी संगठनों से प्राप्त अनुबंध प्रदान की प्रतियां: **लंबी अवधि के अनुबंध/ मनोनयन (6 महीने या अधिक की अवधि के साथ) - *प्रतिलेखन***	.pdf
12.	एजेंसी के खाते की लेखा-परीक्षित विवरणी की प्रति और वार्षिक टर्नओवर के समर्थन में उचित दस्तावेज (टर्नओवर के आंकड़ें हाईलाइट किए जाने चाहिए)	.pdf
13.	पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के लिए कम से कम 50 लाख की वार्षिक टर्नओवर का प्रमाण	.pdf
14.	एजेंसी के स्थायी/नियुक्त प्रमुख कर्मियों की सूची और साथ ही उनकी अर्हताओं तथा कार्य अनुभव की प्रतियां	.pdf

संलग्नक III

ऑनलाइन बोली जमा करने के लिए निर्देश

बोलीदाताओं को एक विधिमान्य डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के उपयोग से अपनी बोलियों की सॉफ्टकॉपी सीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रानिकली जमा करने की आवश्यकता है। नीचे दिए गए निर्देश सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियाँ तैयार करने और सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियाँ ऑनलाइन जमा करने में सहायता के लिए है।

सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियाँ जमा करने के लिए अधिक उपयोगी जानकारियाँ https://eprocure.gov.in/eprocure/app से प्राप्त की जा सकती हैं।

पंजीकरण

1) बोलीदाताओं को केन्द्रीय लोक अधिप्राप्ति पोर्टल (यूआरएल: https://eprocure.gov.in/eprocure/app**)** के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर नामांकन करवाने की आवश्यकता है जिसके लिए सीपीपी पोर्टल पर **"ऑनलाइन बिडर एनरोलमेंट"** लिंक पर क्लिक करना होगा जो निःशुल्क है।
2) नामांकन प्रक्रिया के हिस्सा के रूप में, बोलीदाताओं को अपने अकाउंट के लिए एक यूनिक यूजरनेम चुनने और पासवर्ड देने की आवश्यकता होगी।
3) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपना वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करवाएं। इसका उपयोग सीपीपी पोर्टल से किसी भी संचार के लिए किया जाएगा।
4) नामांकन होने के बाद, बोलीदाताओं को सीसीए भारत द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण (उदाहरण, सिफ़ी, एनकोड, ईमुद्रा इत्यादि) द्वारा जारी अपना वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (साइनिंग की उपयोग के साथ श्रेणी III प्रमाणपत्र) पंजीकृत करवाने की आवश्यकता होगी।
5) एक बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान देन कि ये सुनिश्चित करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे अपना डीएससी किसी दूसरे को ना दें जिससे इसका दुरुपयोग हो सकता है।
6) उसके बाद बोलीदाता सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से साइट पर लॉग करेंगे, इसके लिए आपको अपने डीएससी/ई-टोकन का यूजर आईडी/पासवर्ड एंटर करना होगा।

निविदा दस्तावेज खोजना

1) सीपीपी पोर्टल पर कई सर्च ऑप्शन बने हैं, जिसकी मदद से बोलीदाता कई पैरामीटर इस्तेमाल कर सक्रिय निविदा खोज सकते हैं। इन पैरामीटर में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तिथि, मूल्य इत्यादि शामिल हो सकता है। निविदाओं के लिए एडवांस्ड सर्च का भी विकल्प है, जिसमे बोलीदाता सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा खोजने के लिए कई सर्च पैरामीटर को जोड़ सकते हैं जैसे कि संगठन का नाम, अनुबंध का प्रकार, स्थान, तिथि, अन्य कीवर्ड इत्यादि।
2) एक बार अपनी रूचि की निविदा चुनने के बाद बोलीदाता आवश्यक दस्तावेज/निविदा अनुसूची डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित 'माई टेंडर' फोल्डर में मूव किया जा सकता है। ऐसा करने से, अगर निविदा दस्तावेज के लिए कोई शुद्धिपत्र जारी की जाती है तो सीपीपी पोर्टल बोलीदाताओं को एसएमएस/ ई-मेल के माध्यम से सूचित कर पाएगा।

3) बोलीदाता को प्रत्येक निविदा के लिए जारी की गई यूनिक निविदा आईडी नोट कर रख लेना चाहिए, ताकि इसकी मदद से वे हेल्पडेस्क से कोई स्पष्टीकरण / सहायता प्राप्त कर सकें।

बोली तैयार करना

1) बोलीदाताओं को अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले निविदा दस्तावेज पर जारी की गई शुद्धिपत्र पर विचार कर लेना चाहिए।
2) बोली के हिस्से के रूप में जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज समझने के लिए कृपया निविदा विज्ञापन और निविदा दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। कृपया ध्यान देन कि बोली दस्तावेज कितने लिफाफे में जमा की जानी है, दस्तावेजों की संख्या - हर दस्तावेज का नाम और सामग्री जो जमा करने की आवश्यकता है। इसमें कोई विचलन होने के परिणामस्वरूप बोली अस्वीकृत हो सकती है।
3) बोलीदाताओं को जमा की जाने वाली बोली दस्तावेजों को पहले से हीं तैयार रखना चाहिए जो निविदा दस्तावेज/अनुसूची में बताया गया है और आम तौर पर ये PDF / XLS / RAR / DWF/JPG फॉर्मेट में होते हैं। बोली दस्तावेजों को 100 dpi के साथ ब्लैक और वाइट ऑप्शन में स्कैन करें जो स्कैन किए गए दस्तावेजों का साइज़ घटाने में मदद करता है।
4) हर बोली के हिस्से के रूप में जिन मानक दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता होती है, उन्हें बार-बार अपलोड करने में लगने वाला समय और मेहनत बचाने के लिए बोलीदाताओं को ऐसे मानक दस्तावेज (उदाहरण, पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षक प्रमाणपत्र इत्यादि) उपलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। इन दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बोलीदाता उपलब्ध “माई स्पेस” या “अदर इम्पोर्टेन्ट डाक्यूमेंट्स” का उपयोग कर सकते हैं। एक बोली जमा करते समय इन दस्तावेजों को सीधे “माई स्पेस” एरिया से जमा किया जा सकता है, और बारम्बार अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से बोली जमा करने की प्रक्रिया में कम समय लगता है।

नोट: *माई डॉक्यूमेंट स्पेस अपलोड करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बोलीदाताओं को प्रदान की गई एक संग्राहक है। यदि बोलीदाता ने अपने दस्तावेजों को माई डॉक्यूमेंट स्पेस में अपलोड किया है, तो इसका अर्थ ये नहीं निकलता कि ये दस्तावेज तकनीकी बोली का हिस्सा हैं।*

बोली जमा करना

1) बोलीदाताओं को बोली जमा करने के लिए काफी पहले से साइट पर लॉग इन कर लेना चाहिए ताकि वे समय पर, अर्थात बोली जमा करने के समय पर या उससे पहले बोली अपलोड कर सकें। अन्य कारणों से कोई विलम्ब होने पर इसके लिए बोलीदाता जिम्मेदार होगा।
2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में बताए गए आवश्यक बोली दस्तावेजों पर एक-एक कर डिजिटली हस्ताक्षर कर अपलोड करना है।
3) बोलीदाता को निविदा शुल्क/ईएमडी, जैसा लागू हो, भुगतान करने के लिए भुगतान विकल्प के लिए “ऑफलाइन” चुनना है और लिखतों का विवरण एंटर करना है।
4) निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार बोलीदाता को ईएमडी तैयार करना चाहिए। मूल दस्तावेज को बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक या निविदा दस्तावेज में दिए गए निर्देश अनुसार डाक/ कोरियर द्वारा भेजना या संबंधित अधिकारी को खुद देना है। डीडी/ कोई अन्य स्वीकृत लिखत, जो भौतिक रूप से

भेजा गया है, का विवरण स्कैन प्रति के विवरण और बोली जमा करते समय दी गई जानकारियों से मिलना चाहिए। अन्यथा अपलोड बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5) बोलीदाताओं से ध्यान देने का निवेदन है कि वे प्रदान किए गए प्रारूप में हीं अपनी वित्तीय बोली जमा करें और कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं है। यदि मूल्य बोली निविदा दस्तावेज के साथ मानक बीओक्यू प्रारूप में दी गई है, तो सभी बोलीदाताओं को यह डाउनलोड करके और भरना होगा। बोलीदाताओं को बीओक्यू फाइल डाउनलोड करने, खोलकर और सफेद रंगों के सेल (अनप्रोटेक्टेड) को अपने वित्तीय दरों और अन्य जानकारियों (जैसे कि बोलीदाता का नाम) से भरना होगा। किसी दूसरे सेल में बदलाव नहीं करना चाहिए। जानकारी भर लेने के बाद, बोलीदाता फाइल नेम बदले बिना इसे सेव कर ऑनलाइन जमा कर दें। यदि पाया जाता है कि बोलीदाता ने बीओक्यू फाइल में बदलाव किया है तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
6) बोलीदाताओं द्वारा बोली जमा करने, बोली खोलने इत्यादि के सन्दर्भ में समय-सीमा के रूप में सर्वर समय (जो बोलीदाता के डैशबोर्ड पर नज़र आता है) को मानक समय समझा जाएगा। बोली जमा करते समय बोलीदाता को इस समय पर नज़र रखनी चाहिए।
7) जानकारियों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बोलीदाताओं द्वारा जमा की जा रही सभी दस्तावेज पीकेआई एनक्रिप्शन तकनीक के उपयोग से एनक्रिप्टेड होंगे। बोली खुलने के समय तक एंटर की गई जानकारी को कोई अनाधिकृत व्यक्ति नहीं देख पाएगा। सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट एनक्रिप्शन तकनीक की मदद से बोलियों की गोपनीयता बनाई रखी जाती है। सेंसिटिव फील्ड का डेटा स्टोरेज एनक्रिप्शन किया गया है। सर्वर पर अपलोड की गई कोई भी बोली दस्तावेज सिस्टम द्वारा जनित सिमेट्रिक की के उपयोग से सिमेट्रिक एनक्रिप्शन के अधीन है। इसके अलावा ये की खरीदार/बोली खोलने वाले व्यक्ति की पब्लिक की के उपयोग से एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन के भी अधीन है। समग्र रूप से, बोली खोलने वाले प्राधिकृत व्यक्ति निविदा खोले जाने के बाद ही अपलोड की गई निविदा दस्तावेजों को केवल पढ़ा जा सकता है।
8) बोली खोलने वाले प्राधिकृत व्यक्ति निविदा खोले जाने के बाद ही अपलोड की गई निविदा दस्तावेजों को केवल पढ़ा जा सकता है।
9) सफलता पूर्वक और समय से बोली जमा करने पर (अर्थात, पोर्टल पर “फ्रीज बिड सबमिशन” क्लिक करने के बाद) पोर्टल पर सफलता पूर्वक बोली जमा होने का सन्देश आएगा और स्क्रीन पर बोली की सभी अन्य प्रासंगिक जानकारियों के साथ बोली संख्या और बोली जमा करने का समय और तिथि के साथ बोली सारांश नज़र आएगा।
10) बोली जमा करने की पावती के रूप में बोली सारांश को प्रिंट कर रखना होगा। बोली खोलने की किसी भी बैठक के लिए इस पावती को प्रवेश पास के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

बोलीदाताओं के लिए सहायता

1) निविदा दस्तावेजों और उसमें समाविष्ट नियमों और शर्तों के संबंध में कोई सवाल, निविदा में सूचित उचित संपर्क व्यक्ति या निविदा के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए।
2) ऑनलाइन बोली जमा करने की प्रक्रिया के बारे में कोई सवाल या सीपीपी पोर्टल से जुड़ा कोई सवाल सामान्यतः 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क से किया जा सकता है।

***

<u>संलग्नक IV</u>

संलग्नक 21: अदावा प्रमाणपत्र
(कंपनी के लेटरहेड पर)

सेवा में,

(अनुबंध कार्यान्वयन अधिकारी)
अधिप्राप्ति निकाय.....

अदावा प्रमाणपत्र

विषय: अनुबंध समझौता सं..... दिनांक .....आपूर्ति ..... के लिए

हमने सभी भुगतानों के पूर्ण और अंतिम अदायगी के रूप में रु. (केवल ..... रुपए) की राशि प्राप्त की है, जो हमारे और भारत सरकार के बीच ऊपर उल्लिखित अनुबंध समझौता के अधीन हमें ..... की आपूर्ति के लिए देय था। हम एतद्वारा बेशर्त और किसी भी प्रकार के संकोच के बिना प्रमाणित करते हैं कि इस भुगतान के साथ , अपने द्वारा निष्पादित ऊपर उक्त अनुबंध समझौते के अधीन अधिप्राप्ति निकाय के प्रति किसी भी कारण से हमारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं होगा। इसके अलावा, हम सुस्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि इस भुगतान के साथ हमने हमें देय सभी रकम प्राप्त कर लिया है और हमारे प्रति देय और हमें मिलने वाले रकम के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, और ये कि जहाँ तक अनुबंध प्रदर्शन का सवाल है, हम अनुबंध समझौते के नियमों और शर्तों से बंधे रहेंगे।

भवदीय,
ठेकेदार या ठेकेदार की तरफ से
अनुबंध दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने
के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
(कंपनी का मोहर)

दिनांक:.....
स्थान:.....